

दिनांक:-14.09.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टीं एवं अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की नियमानुसार गिरफ्तारी एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री राजीव सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी लहरपुर के नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्तों 1.तौकीर पुत्र शफीक उर्फ भूरे 2.जहीर पुत्र नसीर अहमद उर्फ मुन्ना निवासीगण मोहल्ला बागवानी टोला कस्बा व थाना लहरपुर सीतापुर को 50 किलोग्राम अवैध भैंसे के मांस के साथ गिरफ्तार किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना लहरपुर पर मु0अ0सं0 590/22 धारा 429 भा.द.वि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोगः-

• मु0अ0सं0 590/22 धारा 429 भा.द.वि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लहरपुर सीतापुर

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

- 1. तौकीर पुत्र शफीक उर्फ भूरे निवासी मोहल्ला बागवानी टोला कस्बा व थाना लहरपुर सीतापुर
- 2. जहीर पुत्र नसीर अहमद उर्फ मुन्ना निवासी मोहल्ला बागवानी टोला कस्बा व थाना लहरपुर सीतापुर

बरादमगी:-

• कुल 50 किलोग्राम भैसे का मांस, लकड़ी का ठीहा, बांका व चाकू

पुलिस टीम थाना लहरपुर:-

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव सिंह
- 2. उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव
- 3. का0 यूसुफ अली
- 4. का0 अर्पित विशनोई
- 5. का0 मनीष चौधरी
- 6. का0 विनय पटेल

